UPSH010001702026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 01, शाहजहॉपुर।
उपस्थित– सुरेश कुमार शर्मा, (एच0जे0एस0)

दाण्डिक निगरानी संख्या–07/2026

राज कुमार सिंह चन्देल एडवोकेट उम्र करीब 67 वर्ष पुत्र श्री जमादार सिंह,
निवासी–ग्राम चकचन्द्रसेन, थाना–जलालाबाद,
हाल निवासी–मोहल्ला इन्दिरा नगर कालोनी, थाना–सदर बाजार, जिला शाहजहॉपुर।

————— **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार।
2– राजीव आयु करीब 46 वर्ष पुत्र जगवीर
3– विकास आयु करीब 29 वर्ष | पुत्रगण राजीव
4– विशाल आयु करीब 26 वर्ष |
5– जगवीर आयु करीब 70 वर्ष पुत्र हरिपाल
6– अजनेश आयु करीब 49 वर्ष पुत्र सुरेन्द्र
7– विपिन आयु करीब 31 वर्ष | पुत्रगण राजेश।
8– रूचिन उर्फ अभिनव आयु करीब 29 वर्ष |

——— **विपक्षीगण।**

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–28, शाहजहॉपुर द्वारा परिवाद संख्या–2768 सन् 2025, राज कुमार सिंह चन्देल बनाम राजीव आदि, थाना–जलालाबाद, जिला–शाहजहॉपुर में पारित आदेश दिनांकित 11–11–2025 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके अंतर्गत निगरानीकर्ता/परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त किया गया है।

2. संक्षेप में निगरानीकर्ता के निगरानी में कथन हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। विपक्षीगण ने जानबूझकर साजिश के तहत एक झूठी घटना थाना अल्हागंज क्षेत्र में दिनांक 14–05–2024 को बनायी और झूठी तहरीर थाना अल्हागंज में दी। उस तहरीर में निगरानीकर्ता व उसका बेटा सिद्धार्थ सिंह का नाम भी शामिल कर लिया। निगरानीकर्ता विकलांग है तथा चलने फिरने में मजबूर है, मुश्किल से कचहरी तक आता जाता है। निगरानीकर्ता कभी भी अल्हागंज क्षेत्र में आता जाता नहीं है। निगरानीकर्ता पेशे से वकील है और उसका बेटा सिद्धार्थ सिंह चन्देल साफ्टवेयर मुम्बाई में इंजीनियर है,

Digitally signed by SURESH KUMAR SHARMA
Date: 2026.07.09 17:10:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिसका समाज में सम्मन है। विपक्षीगणों ने एकराय होकर षड़यंत्र के तहत, निगरानीकर्ता व उसका बेटा सिद्धार्थ सिंह चन्देल को अपमानित व बदनाम करने की नियत से इस घटना को कई दिनों तक मीडिया में भी चलवाया, जिससे निगरानीकर्ता व उसके बेटे की मानहानि हुई है। विपक्षीगण गॉव में जगह–जगह निगरानीकर्ता व उसके बेटा को बदनाम कर रहे हैं और गंदी–गंदी गालियां व जान से मारने की धमकी तथा झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, आलोच्य आदेश दिनांकित 11–11–2025 निरस्त कर, निगरानी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के समर्थन में आलोच्य आदेश दिनांकित 11–11–2025 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

4. विपक्षीगण संख्या–2 लगायत 6 की ओर से लिखित आपत्ति 8ख प्रस्तुत की गयी, जिसमें कथन किया गया कि निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा इस वाद से पूर्व माननीय न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कक्ष सं0–32, शाहजहॉपुर के यहॉ राज कुमार सिंह चन्देल बनाम अजनेश सिंह आदि गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया व प्रतिवादी सं0–6 को धारा 307 भा0दं0सं0 व प्रतिवादी सं0–2 को 323,504,506 भा0दं0सं0 में तलब कराया गया। प्रतिवादी सं0–6 ने क्षुब्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में धारा 482 रिट सं0–11636/2024 प्रार्थना पत्र योजित किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त निर्देशित किया गया (आदेश पारित करने हेतु), तदुपरान्त माननीय न्यायालय अपर सिविल जज/ए0सी0जे0एम0, कक्ष सं0–20, शाहजहॉपुर द्वारा परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व गवाहों के बयान एवं अन्वेषण आख्या व परिवादी की ओर से प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन करने के उपरान्त अनेश सिंह, नन्हीं देवी व सचिन, विपिन, राजीव कुमार सिंह, विकास, विशाल को धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 में तलब किया तथा धारा 307 भा0दं0सं0 का हटा दिया। निगरानीकर्ता प्रतिवादी सं0–2 व 6 के पारिवारिक चाचा हैं तथा तमाम झूठे मुकदमे करने के उपरान्त भी प्रतिवादी सं0–2 व 6 निगरानीकर्ता/चाचा के सामाजिक सम्मान में कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी निगरानीकर्ता/चाचा माफ करने को तैयार नहीं हैं। वास्तव में निगरानीकर्ता की भाभी व प्रतिवादी व प्रतिवादी सं0–2 व 6 चाची के विरूद्ध प्रतिवादी सं0–2 द्वारा सदस्य क्षेत्र पंचायत में पर्चा भर दिया गया था, इसी को लेकर वर्ष 2021 से निगरानीकर्ता नाराज है व निगरानीकर्ता/चाचा ने चेतावनी दी थी कि इतने झूठे मुकदमें करेंगे कि जेल काटते काटते मर जाओगे। उक्त आधारों पर निगरानी निरस्त करने की याचना की गयी।

5. विपक्षीगण सं0–2 व 6 की ओर से अपने कथनों के समर्थन में प्रकीर्ण वाद

सं0–316/2021 राज कुमार सिंह चन्देल बनाम अजनेश सिंह आदि में न्यायालय अपर सिलिव जज (जू0डि0), कक्ष सं0–32, शाहजहॉपुर द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 02–11–2023 की सत्य प्रतिलिपि की छाया प्रति, परिवाद सं0–2037/2022 राज कुमार सिंह चन्देल बनाम अजनेश सिंह आदि में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, कोर्ट सं0–17, शाहजहॉपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04–07–2026 की सत्य प्रतिलिपि की छाया प्रति, परिवाद सं0–2037/2022 राज कुमार सिंह चन्देल बनाम अजनेश सिंह आदि में अपर सिविल जज सी0डि0/ए0सी0जे0एम0, कक्ष सं0–20, शाहजहॉपुर द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 25–02–2025 की सत्य प्रतिलिपि की छाया प्रति, रसीद शस्त्र जमा पंचायत चुनाव 2021 की छाया प्रति, सूची शस्त्र लाइसेंस पंचायत चुनाव 2021 में थाना पर दाखिल हुए वापस नहीं हुए की छाया प्रति, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 नं0–11636/2024 अजनेश सिंह व 6 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 25–09–2024 की छाया प्रति, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 नं0–16498/2025 अजनेश सिंह व 6 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 17–09–2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति दाखिल किया है।

6. निगरानीकर्ता मय अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से उपस्थित नहीं है।

7. विपक्षी संख्या–1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से निगरानीकर्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर (2012) 9 एस.सी.सी. 460** के पैरा–12 में यह मत व्यक्त किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष बगैर किसी साक्ष्य के या सारवान साक्ष्य को अनदेखा कर पारित किया गया है अथवा न्यायिक विवेचक का प्रयोग एक तरफा तौर पर या तर्क विरुद्ध किया गया है, उसी दशा में निगरानी न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में दखल दिया जा सकता है।

10. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **संजय सिंह राम रॉव चौहान बनाम दत्तात्रेय गुलाब रॉव फाल्के एवं अन्य (2015) 3 एस.सी.सी. 123** में यह मत व्यक्त किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष में निगरानी में तभी दखल दिया जा सकता है, जब तथ्यात्मक निष्कर्ष तर्क विरूद्ध है, परन्तु यदि तथ्यों के आधार पर अन्य मत भी प्रकट होना संभव है, तो उस दशा में विचारण न्यायालय के आदेश में दखल नहीं दिया

जा सकता है। इसके अतिरिक्त साक्ष्य का मूल्यांकन व पूर्नमूल्यांकन निगरानी में किये जाने को उचित नहीं ठहराया गया है।

11. तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता/परिवादी राज कुमार सिंह चन्देल का परिवाद में मुख्य रूप से कथन है कि परिवादी के गॉव के ही राजीव, विकास, विशाल, जगवीर, अजनेश, विपिन, रूचिन ने मिलकर साजिश के तहत एक झूठी घटना थाना–अल्हागंज क्षेत्र में करायी और इस सम्बन्ध में एक तहरीर दिनांक 14–05–2024 को थाना अल्हागंज में दी थी, जिसमें उसका व उसके बेटे सिद्धार्थ सिंह का नाम भी शामिल **कर लिया।** परिवादी विकलांग है तथा चलने फिरने से मजबूर है। मुश्किल से कचहरी तक आता–जाता है। अल्हागंज क्षेत्र में वह कभी भी नहीं जाता है। वह पेशे से वकील है तथा उसका पुत्र सिद्धार्थ सिंह चन्देल मुम्बई में साफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका समाज में सम्मान है। उपरोक्त विपक्षीगण/अभियुक्तगण उसे, उसके बेटे को बदनाम करने के लिए एकराय होकर षड़यंत्र के तहत मीडिया में चलवाया और गॉव में जगह–जगह उसे व उसके बेटे को बदनाम कर रहे हैं, जिससे उसे व उसके बेटे के सम्मान को ठेस पहॅुची है अर्थात् मानहानि हुई है। यह सभी लोग उसको गंदी–गंदी गालियां व जान से मारने व झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। इन सारी बातों को संजय, वीरपाल, पंकज तथा अन्य गॉव के लोगों ने सुना है।

12. प्रस्तुत परिवाद में बयान धारा–200 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत परिवादी राज कुमार सिंह चन्देल स्वयं परीक्षित हुआ है और धारा–202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत पी0डब्लू0–1 संजय सिंह, पी0डब्लू0–2 पंकज कुमार सिंह परीक्षित हुए हैं।

13. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–28, शाहजहॉपुर ने दिनांक 11–11–2025 को विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध न पाते हुए निगरानीकर्ता का परिवाद निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध वर्तमान निगरानी योजित की गयी है।

14. विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में उल्लेख किया है कि– परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उसके द्वारा विपक्षीगण पर यह आक्षेप लगाया जा रहा है कि विपक्षीगण ने उसको बदनाम करने की नियत से गलत घटना दिखाते हुये थाने पर प्रार्थनापत्र दिया तथा उसे न्यूज चैनल पर दिखाया। उसके द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में पुलिस क्षेत्राधिकारी जलालाबाद को दिये गये प्रार्थनापत्र की प्रति दाखिल की गयी है तथा किसी गौरी शंकर त्रिवेदी संपादक इंडिया खास न्यूज के पोस्ट की प्रति दाखिल की गयी है। उक्त दोनों प्रति किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। यदि उन प्रतियों का अवलोकन किया भी जाये तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है जो प्रार्थनापत्र पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय को दिया गया है वह किसी घटना का उल्लेख करते हुये

दिया गया है जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना की गयी या नहीं की गयी उसका कोई उल्लेख नहीं है तथा यह प्रश्न विवेचना से सम्बन्धित है, जिसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, जहाँ एक प्रश्न है कि गौरी शंकर त्रिवेदी संपादक इंडिया खास न्यूज के पोस्ट का, तो उक्त पोस्ट में अवलोकन कहीं पर भी वादी मुकदमा का नाम का उल्लेख नहीं हो रहा है तथा वह पोस्ट किसी को भी बदनाम करने की नियत से किया गया ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा है। वादी द्वारा बताया गया कि घटना के समय उसका पुत्र मुम्बई में था, जिसकी उपस्थिति पंजिका की प्रति दाखिल की गयी है. परन्तु उक्त उपस्थिति पंजिका किस माह तथा किस वर्ष की है, इसका कोई उल्लेख नहीं है न ही वह किसी के द्वारा प्रमाणित है। उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय का मत है कि विपक्षीगण द्वारा ऐसा कोई कृत्य या पोस्ट नहीं किया गया है, जो दर्शाता हो कि परिवादी की समाज में निन्दा हुई हो।

15. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी के कथनानुसार राजीव, विकास, विशाल, जगवीर, अजनेश, विपिन, रूचिन ने मिलकर साजिश के तहत एक झूठी घटना थाना अल्हागंज में करायी, जिसके सम्बन्ध में एक तहरीर दिनांक 14–05–2024 को थाना अल्हागंज में दी थी, जिसमें परिवादी व उसके बेटे सिद्धार्थ सिंह का नाम भी शामिल कर लिया। परिवादी व उसके पुत्र को परेशान करने व अपमानित करने के लिए षड़यंत्र करके मीडिया में घटना को चलवाया और गॉव में उन्हें बदनाम कर रहे हैं, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुॅची अर्थात् मानहानि हुई। उसका बेटा मुम्बई में साफ्टवेयर इंजीनियर की सर्विस कर रहा है एवं परिवादी विकलांग है। घटना के सम्बन्ध में धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 संजय सिंह व पी0डब्लू0–2 पंकज सिंह का बयान अंकित किया गया है। अप्रत्याशित रूप से उक्त दोनों साक्षीगण के बयानों में कोई अन्तर नहीं है, दोनों के बयान एक समान हैं।

16. उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता/परिवादी के परिवाद के अनुसार कथित झूठी घटना की तहरीर दिनांक 14–05–2024 को थाना अल्हागंज में देना बताया गया है, किन्तु उक्त दिनांक की कोई तहरीर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–6 के माध्यम से एक तहरीर की छाया प्रति दाखिल है, जो दिनांक 23–05–2024 को पुलिस क्षेत्राधिकारी, जलालाबाद को दी गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त निगरानीकर्ता/परिवादी की ओर से सूची कागजात से जो प्रपत्र दाखिल किये गये हैं वे सभी छाया प्रतियां हैं, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं।

17. विपक्षीगण सं0–2 व 6 की ओर से परिवादी द्वारा पूर्व में उन पर दायर मुकदमों व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की सत्य प्रतिलिपियों की छाया प्रतियां दाखिल हैं, जिससे उभयपक्षों के मध्य पूर्व से मुकदमेबाजी होना स्पष्ट होता है।

18. इस प्रकार परिवाद के कथानक, बयान धारा–200 दं0प्र0सं0 व धारा–202

दं0प्र0सं0 तथा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध इस स्तर पर प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

19. इस स्तर पर यह भी अवलोकन है कि धारा 203 दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार–**यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किये गये कथन पर (यदि कोई हो) और धारा–202 के अधीन जॉच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर, विचार करने के पश्चात, मजिस्ट्रेट की राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों का संक्षेप में अभिलिखित करेगा।**

20. उपरोक्तानुसार आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने प्रश्नगत आदेश में निगरानीकर्ता/परिवादी के परिवाद को खारिज करने के संक्षिप्त कारण का उल्लेख किया है। ऐसी दशा में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया आदेश विधि सम्मत है, जो स्थिर रहने योग्य है तथा निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–28, शाहजहॉपुर द्वारा परिवाद संख्या–2768 सन् 2025, राज कुमार सिंह चन्देल बनाम राजीव आदि, थाना–जलालाबाद, जिला–शाहजहॉपुर में पारित आदेश दिनॉकित 11–11–2025 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ तलबशुदा पत्रावली अवलिम्ब वापस भेजी जाये।

दिनॉकः 16–07–2026

(सुरेश कुमार शर्मा)
अपर जिला जज,
कक्ष सं0–1 शाहजहॉपुर।
जे0ओ0 कोड नं0–यू0पी0–6080

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनॉकः 16–07–2026

(सुरेश कुमार शर्मा)
अपर जिला जज,
कक्ष सं0–1 शाहजहॉपुर।
जे0ओ0 कोड नं0–यू0पी0–6080